

आर.सी.एम.एस. नम्बर 2023/80

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी:- पंकज शर्मा
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

मुकदमा नम्बर :- 32/2023 (पितराम बनाम चिमनाराम वगैरह)

निर्णय दिनांक :- 23.10.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रुबरू, पंकज शर्मा (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रुबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 23.10.2024 द्वारा पारित निर्णयानुसार ग्राम घासीराम का बास स्थित भूमि ख0न0 126 रकबा 2.52 है0 के नवीन ख0न0 164/126 रकबा 1.26 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ कर विक्रय पत्र दिनांक 14.06.2013 के आधार पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर आदलत से आज तारीख 23.10.2024 को जारी की गई।



५०१
(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर